मध्य्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
फोन-0755-2708493, ईमेल- pssocialjustice@mp.gov.in

क्रं./I/254429/2025/26-2 भोपाल, दिनांक 07-05-2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय:- **विभाग की समस्त योजनाओं में आवेदक की समग्र पोर्टल पर eKYCसत्यापित समग्र आईडी का उपयोग अनिवार्य किये जाने के संबंध में।**

संदर्भ:- 1. म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रं./468/1252035/2023/26-2 दिनांक 11/04/2023

2. म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन का पत्र क्रं. ER-120-1207879/2023 दिनांक 4 मई 2023

3. संचालनालय का पत्र क्रं. सा.सहा4/2023-24/1462-. दिनांक 17/06/2023 एवं अर्द्ध. शासकीय पत्र दिनांक 20/06/2023

4.म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वल्लभ भवन-3, मंत्रालय का पत्र क्रं. एफ-14/13/2020/41-2 दिनांक 08/08/2024

--00--

विषयान्तर्गत अवगत हों कि विभाग की समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार eKYCको अनिवार्य किया गया है। इसी अनुक्रम में विभाग के समस्त पेंशन हितग्राहियों का आधार eKYCसमग्र पोर्टल पर कराने की कार्यवाही भी निरंतर प्रचलन में है।

म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा MPSEDC के माध्यम से संचालित समग्र डेटाबेस (समग्र पोर्टल) को सुदृढ़ कर सिंगल सिटिजन डेटाबेस (Single Citizen Database) स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश राज्य में एक**' पेपरलेस/फेसलेस गवर्नेस"** सिस्टम स्थापित करना तथा विभिन्न विभागों की योजनाओ एवं सेवाओं को सरलता के साथ नागरिकों तक पहुंचाना है। जिसमें नागरिकों से बार-बार दस्तावेज मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी मंशा के तारतम्य में विभाग की विभिन्न योजनाओं के ऑनलाईन क्रियान्वयन में समग्र आईडी अनिवार्य की गई है व इस हेतु समग्र पोर्टल से इंट्रिग्रेशन भी किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

1. आवेदक की समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी उपरांत सामान्य जानकारीजैसे नाम, जन्म दिनांक, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पिता/पति का नाम, वर्ग, पता इत्यादि को प्रमाणित मानकर आगामी कार्यवाही की जाये। आवेदक द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी किये जाने एवं योजना के लिये पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने की स्थिति में पृथक से दस्तावेज मांगने की आवश्यकता नहीं है।
2. जिन योजनाओं की पात्रता शर्तो में बी.पी.एल. की अनिवार्यता है, उन आवेदकों केबी.पी.एल. स्टेटस का सत्यापन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा **MPSEDC** द्वारा विकसित बी.पी.एल.

File No. DSJDW/15/0001/2025-Sansad-DSJDW (Computer No. 410195)
Generated from eOffice by VINOD KUMAR WARKADE, SO(VKW)-SJDPW(SEC-1), SECTION OFFICER, SOCIAL JUSTICE AND DISABLED PERSON WELFARE on 13/05/2025 12:58 pm

पोर्टल पर किया जाये, पृथक से बी.पी.एल. कार्ड मांगने की आवश्यकता नहीं है। बी.पी.एल. स्टेटस की पुष्टि बी.पी.एल. पोर्टल पर ऑनलाईन भी की जा सकती है।

3. जिन योजनाओं में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता है, उन आवेदकों का सत्यापन संबंधित स्थानीय निकाय/डीडीआरसी द्वारा NIC द्वारा विकसित विभागीय स्पर्श पोर्टल पर किया जाये, जिसमें दिव्यांगता की जानकारी भारत सरकार के यूडीआईडी पोर्टल से प्राप्त की जाती है, अत: आवेदक से पृथक से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मांगने की आवश्यकता नहीं है। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की पुष्टि स्पर्श/यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनलाईन की जा सकती है।
4. योजना की पात्रता शर्तो को निर्धारित करने वाली अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आवेदक आयकरदाता है या नहीं,शासकीयकर्मचारीहै या नहीं,अथवा परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे है या नहीं इत्यादि जानकारी की पुष्टि स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर की जा सकती है।
5. आवेदन में कोई दस्तावेज अथवा जॉच अपेक्षित भी हो तो उसका निराकरण भी निश्चित समय-सीमा में ही कियाजाये।अनावश्यक विलंब किये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
6. गलत जानकारी प्रदान कर योजना का अनुचित तरीके से लाभ लेने पर संबंधित आवेदकर्ता के विरूध्द कार्यवाही की जा सकती हैं एवं प्रदाय की गई राशि शासन को वापस लौटाई जा सकती है।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुये विभाग की योजनाओं केऑनलाईन क्रियान्वयन में **'पेपरलेस / फेसलेस गवर्नेस"** सिस्टम को सुनिश्चित किया जाये।

(अंकिता धाकरे)
उप सचिव,
म.प्र. शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्र./I/254429/202526-2 भोपाल, दिनांक 07-05-2025

प्रतिलिपी:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजनसशक्तिकरण, म.प्र.।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय आवास एवं विकास विभाग, म.प्र.।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजनसशक्तिकरण विभाग।
6. प्रबध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी., म.प्र.।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
8. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
10. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजनसशक्तिकरण, म.प्र.।
11. श्री योगेश सिंह, संचालक (तकनीकी), एन.आई.सी., म.प्र., पोर्टल पर आवश्यकतानुसार संशोधन करने के संबंध में।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।
13. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, म.प्र.।
14. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.।

उप सचिव,
म.प्र. शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

File No. DSJDW/15/0001/2025-Sansad-DSJDW (Computer No. 410195)
Generated from eOffice by VINOD KUMAR WARKADE, SO(VKW)-SJDPW(SEC-1), SECTION OFFICER, SOCIAL JUSTICE AND DISABLED PERSON WELFARE on 13/05/2025 12:58 pm